

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून
 वनादेश सं० 53 / 1-13(13) देहरादून दिनांक, 27 जून, 2019

पदोन्नति/तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक क-1308/1-3(3) दिनांक 17-12-2018 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 18-12-2018 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रधान सहायक वेतनमान 35,400-1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के कार्मिकों को प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 44,900-1,42,400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-


क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री अन्वया दत्त भट्ट	वन वर्धनिक, साल, हल्द्वानी	वन वर्धनिक, साल, हल्द्वानी
2	श्री नारायण दत्त तिवाड़ी	प्र०व० तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	प्र०व० तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी
3	श्री कैलाश चन्द्र साह	प्र०व० अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर	प्र०व० अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर
4	श्री अनिल कुमार कपिल	प्र०व० हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	प्र०व० हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
5	श्रीमती बीना भट्ट	प्र०व० उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी	प्र०व० उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी
6	श्री जगत सिंह रावत	निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी	निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी
7	श्री विपिन चन्द्र भगत	प्र०व० नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल	प्र०व० नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

1. उक्त कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (बे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 सं० 11/XXvii(7)30(14)/2017 दिनांक 04-03-2017 के संलग्नक-1 के बिन्दु सं० 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित कार्मिक दिनांक 30-06-2019 तक अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

3. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।


4. स्थानान्तरण की स्थिति में नियंत्रक अधिकारी द्वारा संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित किया जाय तथा जिन कार्यालयों में योगदान दिया जाना है में नियंत्रक अधिकारी तभी योगदान स्वीकृत करें जब संबंधित कार्यालय से कार्यमुक्ति हेतु आदेश जारी किया गया हो।


(जय राज)

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं० 53 (1)/1-13(13) दिनांकित।
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
4. मु०व०सं०, आई०टी०जी०सी०, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट में अपलोड हेतु।
5. अधिष्ठान/गार्ड बुक।


(जय राज)

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
 उत्तराखण्ड, देहरादून।